न्यायालय संभागीय आयुक्त, अजमेर

(निर्णय बईजलास श्री भंवर लाल मेहरा, आई.ए.एस संभागीय आयुक्त, अजमेर)

क्रमांक : अपील आर्म्स एक्ट 228/2019/अजमेर (2019/00228)

विजय कुमार गर्ग पुत्र श्री रामलाल गर्ग, निवासी एस.बी.आई ट्रेनिंग सेन्टर के सामने अजमेर।

अपीलार्थी

बनाम

जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर

प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 18 शस्त्र अधिनियम 1959
विरूद्व आदेश जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर
आदेश क्रमांक न्याय/आर्म्स/2018/13821 दिंनाक 09–09–2019

———

उपस्थितः 1– श्री लेखू मंघानी अभिभाषक अपीलार्थी
2– श्री राजेश टण्डन, राजकीय अभिभाषक

निर्णय

दिनांक : 14–03–2022

अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी के नाम एक शस्त्र अनुज्ञा पत्र संख्या 01/2012 हथियार, बारह बोर, डीबीबीएल, गन संख्या 115942 दिनांक 5–6–2012 की पालना में अपीलार्थी को स्वयं की रक्षार्थ दिनांक 12–9–2012 प्रदान किया गया था। उसके पश्चात यह अनुज्ञा पत्र दिनांक 12–6–2019 तक नियमित रूप से नवीनीकरण होता रहा। आगामी अवधि के लिए नवीनीकरण हेतु जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर के समक्ष निर्धारित प्रफोर्मा में आवेदन किया तथा आवश्यक फीस जरिये चालान जमा करा दी गई। जिला मजिस्ट्रेट अजमेर ने जिला पुलिस अधीक्षक अजमेर से उक्त संबंध में रिपोर्ट चाही गई। जिला पुलिस अधीक्षक, अजमेर ने रिपोर्ट प्रेषित की जिसमें अपीलार्थी के विरूद्ध विभिन्न धाराओं में फौजदारी मुकदमें दर्ज होना अंकित है। उक्त रिपोर्ट के आधार पर जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर ने अपीलार्थी के नाम एक पत्र दिनांक 9–9–2019 प्रस्तुत किया कि पुलिस विभाग की रिपोर्ट के आधार पर उनका अनुज्ञा पत्र आगामी अवधि के लिए नवीनीकरण नहीं करने का निर्णय लिया गया

है। जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर के उक्त आदेश से असन्तुष्ट होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये गये तथा संबंधित अभिलेख तलब किया गया। दोनों पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस के दौरान कथन किया कि जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर ने दिनांक 09–09–2019 को जो आदेश पारित किया है, वह मात्र एक सूचना पत्र है, जिसके तहत अपीलार्थी को सूचित किया गया है कि उनका अनुज्ञा पत्र नवीनीकरण नहीं करने का निर्णय लिया गया है। निर्णय तो कोई पारित ही नहीं किया गया है। इस प्रकार तथाकथित सूचना पत्र निर्णय की परिभाषा में नहीं आता है तथा उक्त आदेश स्पीकिंग आदेश नहीं है। इस आदेश में लाईसेंस रिन्यु नहीं करने के कोई कारण अंकित नहीं किये गये है। यह पत्र केवल जिला पुलिस अधीक्षक की रिपोर्ट को आधार बनाकर जारी किया गया है। कि अपीलार्थी का लाईसेंस रिन्यू नहीं कर निरस्त किया गया है। जिला मजिस्ट्रेट, ने उक्त आदेश पारित करने से पहले अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर प्रदान ही नहीं किया। इसलिए विवादित आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

उनका यह भी कथन है कि आर्म्स एक्ट 1959 की धारा 17 (3)(बी) में यह प्रावधान है कि पूर्व में जारी आर्म्स लाईसेंस को उन्हीं परिस्थितियों में रिवोक/निरस्त किया जा सकता है जहां जन सुरक्षा तथा पब्लिक पीस के लिए ऐसा आवश्यक हो। प्रस्तुत मामले में अपीलार्थी ने कभी भी लाईसेंसशुदा हथियार का दुरूपयोग नहीं किया है तथा ना ही जन सुरक्षा तथा ना ही पब्लिक पीस का हनन किया है। पुलिस अधीक्षक अजमेर ने अपनी रिपोर्ट में जिस मुकदमें का उल्लेख किया है, वह हथियार के दुरूपयोग का मुकदमा दर्ज नहीं है।

माननीय राजस्थान उच्च न्यायलय जयपुर की खण्डपीठ ने 2005(2) Cr.L.R.(Raj) पृष्ठ 907 में प्रकाशित डी.बी. स्पेशल अपील (रिट) संख्या 576/2003 निर्णय दिनांक 18–1–2005 में यह स्पष्ट मत व्यक्त किया है कि जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर ने यह इंगित नहीं किया कि लोक शांति की सुरक्षा बनाये रखने के लिए किस प्रकार अपीलार्थी के आयुद्ध लाईसेंस को रद्ध करना जरूरी था। माननीय खण्डपीठ ने यह भी मत व्यक्त किया कि केवल कुछ फौजदारी मुकदमें लम्बित होने के आधार पर आयुद्ध लाईसेंस निरस्त करना न्यायोचित नहीं है।

उनका यह भी तर्क है कि माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2006(3) क्रिमिनल कोर्ट केस पृष्ठ 503 में प्रकाशित निर्णय पीटीशन नम्बर 13164/2003 दिनांक 8.11.2005 वीरेन्द्र पाल सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के प्रकरण में स्पष्ट मत व्यक्त किया गया है कि फौजदारी प्रकरण लम्बित होने या उसमें सम्मिलित होने पर भी आयुद्ध लाईसेंस निरस्त नहीं किया जा सकता है।

उन्होंने यह भी कथन किया कि राजस्थान सरकार गृह (ग्रुप–9) विभाग जयपुर ने परिपत्र क्रमांक प–1(13)गृह–9/2006 दिनांक 16–2–2006 के बिन्दु संख्या 5 में शस्त्र अनुज्ञा पत्र का नवीनीकरण करने से पहले बिन्दु संख्या 5.2(1) से 5.2(12) में वर्णित बिन्दुओं की पालना करने पर ही लाईसेंस आगे रिन्यु करने की व्यवस्था की है। इसमें आर्म्स रूल्स के नियम 3 व 4 का भी उल्लेख है तथा परिशिष्ठ 10 में शपथ–पत्र भी दिये जाने की व्यवस्था है। बिन्दु संख्या 5 में वर्णित शर्तो की अवहेलना का अपीलांट दोषी नहीं है। इनमे से कोई भी बिन्दु अपीलांट के विपरीत नहीं है।

अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक का यह भी कथन है कि जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर ने केवल पुलिस अधीक्षक, अजमेर की रिपोर्ट के आधार पर हथियार का लाईसेंस आगे रिन्यू नहीं करने का आदेश पारित किया है। पुलिस अधीक्षक अजमेर ने अपीलार्थी के विरूद्ध विभिन्न मुकदमें विचाराधीन होने के कारण लाईसेंस का नवीनीकरण नहीं करने की अनुशंषा की थी। जिला पुलिस अधीक्षक की रिपोर्ट एकतरफा थी। रिपोर्ट प्रस्तुत करने से पहले उन्होने इस विषय पर अपीलार्थी को दस्तावेज आदि पेश करने का अवसर ही नहीं दिया। अतः विधिविरूद्ध रिपोर्ट के आधार पर लाईसेंस निरस्त करने का आदेश पूर्णतया गैर कानूनी है।

उनका यह भी कथन है कि राजस्थान सरकार गृह (ग्रुप–6) विभाग जयपुर के परिपत्र क्रमांक प–1(13)गृह–9/2006 दिनांक 16–2–2010 के अनुसार इस परिपत्र के पैरा संख्या 7 में राज्य सरकार द्वारा जारी समसंख्यक परिपत्र दिनांक 16–12–2006 के बिन्दु संख्या 8–1 में संशोधन किया गया है। अब यह प्रावधान किया गया है कि अनुज्ञा पत्र नवीनीकरण व निरस्तीकरण के प्रकरणों में आयुद्ध अधिनियम के आधार पर कार्यवाही के निर्देश है। परिपत्र दिनांक 16–12–2006 के इस प्रावधान को हटा दिया गया है कि यदि किसी के विरूद्ध फौजदारी मुकदमा दर्ज है तो ऐसे अनुज्ञा धारी का लाईसेंस तुरन्त निरस्त किया जावें इस प्रकार परिपत्र दिनांक 16–2–2010 के प्रावधान प्रभाव में आने के बाद पुलिस अधीक्षक अजमेर की रिपोर्ट निष्प्रभावी हो गई है और इस रिपोर्ट के आधार पर पारित आदेश निरस्तनीय है।

उनका यह भी कथन है कि अपीलार्थी ने कभी भी हथियार का दुरूपयोग नहीं किया है। आर्म्स एक्ट के प्रावधानों के तहत कभी भी कोई मुकदमा अपीलार्थी के विरूद्ध दर्ज नहीं है। अपीलार्थी के विरूद्ध दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 107, 110, 115(3) या 151 के तहत शांति भंग का कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है। किसी भी न्यायालय ने आज दिनांक तक शांति बनाये रखने के लिए अपीलार्थी को पाबन्द कर बॉण्ड नहीं भरवाये गये है। फिर लोक शांति भंग करने की आशंका बताकर हथियार का लाईसेंस निरस्त करना विधिविरूद्ध है।

उनका यह भी कथन है कि बी गणेश प्रसाद बनाम राजस्व मण्डल तिरूअनन्तपुरम (2005 Cr.L.J. 3178 केरल) में माननीय उच्च न्ययालय ने यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि जिला मजिस्ट्रेट द्वारा पारित किये गये आदेश का अवलोकन यह दर्शाता है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत किये गये आवेदन की अस्वीकृति के लिए एक मात्र कारण यह है कि पुलिस अधीक्षक ने अनुज्ञप्ति जारी करने की अनुशंषा नहीं की। अनुज्ञप्ति के लिए प्रत्येक आवेदन आवश्यक रूप से स्वयं की अपनी मैरिट पर विचरित किया जाना होता है। इससे संबंधित तथ्यों को ध्यान में रखना चाहिए और असंबंधित तथ्यों द्वारा मार्गदर्शन होने से बचना चाहिए। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर का आदेश दिनांक 09–09–2019 निरस्त किया जाकर अपीलार्थी का शस्त्र अनुज्ञा पत्र संख्या 01/2012 नवीनीकरण किये जाने के आदेश प्रदान करने हेतु निवेदन किया गया।

अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक की उक्त बहस का जवाब देते हुए विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने कथन किया कि राज0 सरकार के दिशा निर्देशों एवं परिपत्रानुसार शस्त्र अनुज्ञापत्र धारी के चरित्र की सत्यापन रिपोर्ट एवं लाईसेंसधारी की पृष्ठ भूमि आपराधिक नहीं हो के संबंध में पुलिस विभाग से रिपोर्ट लिये जाने के पश्चात अनुज्ञापत्र नवीनीकरण किये जाने का प्रावधान है। जिला पुलिस अधीक्षक, अजमेर ने थानाधिकारी, थाना सिविल लाईन, अजमेर की रिपोर्ट के आधार पर अपनी रिपोर्ट पत्र क्रमांक 365 दिनांक 20–8–2019 द्वारा अवगत कराया है कि अपीलार्थी के विरूद्ध मु0न0 192/2017 धारा 420, 406 भादस में दर्ज हुआ। जिसमें चार्जशीट संख्या 375/2018 न्यायालय पेशी की गई जो आदिनांक तक विचाराधीन है। साथ ही दूसरा मुकदमा नम्बर 83/2019 धारा 420, 406 भा0द0स में दर्ज हुआ जो न्यायालय में विचाराधीन है। जिला पुलिस अधीक्षक, अजमेर की रिपोर्ट के आधार पर जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर द्वारा अनुज्ञा पत्र नवीनीकरण नहीं करने का निर्णय लिया गया है तथा शस्त्र को संबंधित पुलिस थाने में जमा कराने के निर्देश दिये है। अतएव ऐसी स्थिति में जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर का आदेश दिनांक 09–09–2019 विधिसम्मत होने से यथावत रखे जाने हेतु निवेदन किया गया।

मैने दोनों पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर गंभीरतापूर्वक मनन किया तथा सम्बन्धित अभिलेख का गहनता से अध्ययन किया जिससे मेरे समक्ष यह तथ्य स्पष्ट होते है कि थानाधिकारी, थाना सिविल लाईन, अजमेर की रिपोर्ट के आधार पर जिला पुलिस अधीक्षक, अजमेर ने अपनी रिपोर्ट पत्र क्रमांक 365 दिनांक 20–8–2019 द्वारा अवगत कराया है कि अपीलार्थी के विरूद्ध मु0न0 192/2017 धारा 420, 406 भादस में दर्ज हुआ। जिसमें चार्जशीट संख्या 375/2018 न्यायालय पेशी की गई जो आदिनांक तक विचाराधीन है। साथ ही दूसरा मुकदमा नम्बर 83/2019 धारा 420, 406 भादस में दर्ज हुआ जो न्यायालय में विचाराधीन है। जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर की पत्रावली की नोटशीट में उपविधि परामर्शी ने भी अपनी रिपोर्ट दिनांक 3–9–2019 में उल्लेख किया है कि गृह विभाग (ग्रुप–9) द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 16–2–2010 के अनुसरण में अनुज्ञाधारी के विरूद्ध दो आपराधिक प्रकरण दर्ज होकर न्यायालय में लम्बित है। अतः नवीनीकरण नहीं किये जाने बाबत टिप्पणी की है। उक्त रिपोर्ट के आधार पर

जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर द्वारा अपीलार्थी के पक्ष में शस्त्र अनुज्ञा पत्र का नवीनीकरण नहीं करने का निर्णय लिया है जो न्यायोचित है।

यहां यह उल्लेखनीय है कि अपीलार्थी के विरूद्ध दो आपराधिक प्रकरणों में मुकदमें दर्ज होने का उल्लेख है किन्तु बहस के दौरान उन प्रकरणों में माननीय न्यायालय द्वारा क्या निर्णय पारित किया गया है, के संबंध में अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा अवगत नहीं कराया गया है। इससे स्पष्ट है कि अपीलार्थी के विरूद्ध आपराधिक प्रकरण आदिनांक तक न्यायालय में विचाराधीन है। ऐसी स्थिति में जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर द्वारा शस्त्र अनुज्ञा पत्र संख्या 01/2012 हथियार, बारह बोर, डीबीबीएल, गन संख्या 115942 दिनांक 5–6–2012 को संबंधित पुलिस थाने में जमा कराने हेतु निर्देशित किया है जो सुरक्षा की दृष्टि से उचित एवं विधिसम्मत होने से उसमें किसी प्रकार से हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलार्थी की अपील सारहीन एवं तथ्यहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय (जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,) अजमेर का आदेश क्रमांक/न्याय/शस्त्र/2018/13821 दिनांक 09–09–2018 विधिसम्मत होने से यथावत रखा जाता है।

(भंवर लाल मेहरा)
संभागीय आयुक्त,
अजमेर